इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 349] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 जून 2022—आषाढ़ 9, शक 1944

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2022

क्रमांक एफ. 35-31-2019-M-31-102.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों,—

1. नियम 3 में,—

(1) उप-नियम (1) में, शब्द ''जलीय आधार पर'' के पश्चात् शब्द ''या दबावयुक्त सिंचाई प्रणाली की दशा में वितरण केन्द्र वार'' स्थापित किए जाएं;

(2) उप-नियम (5) में, शब्द ''जलीय आधार पर'' के पश्चात् शब्द ''या वितरण केन्द्र वार'' स्थापित किए जाएं;

(3) उप-नियम (6) में, शब्द ''उसके दो या अधिक संयोजन'' के पश्चात् शब्द ''या वितरण केन्द्र'' स्थापित किए जाएं;

(4) उप-नियम (7) में, शब्द ''कुएं'' के पश्चात् शब्द ''या दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली '' अन्त:स्थापित किए जाएं.

2. विद्यमान प्ररूप "क" के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"प्ररूप —क

अधिसूचना

[नियम 3 का उप नियम (2) देखिए]

यतः, यह विनिश्चित किया गया है कि सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र को जलीय आधार पर अथवा वितरण केन्द्र वार तथा प्रशासकीय दृष्टि से व्यवहार्य जल उपभोक्ता क्षेत्रों में निरूपित किया जाए ;

और यतः, इस प्रकार से विभाजित किए गए जल उपभोक्ता क्षेत्रों को, क्रमशः वृहद/मध्यम अथवा लघु सिंचाई प्रणाली के संबंध में जल उपभोक्ता संथाओं के गठन के प्रयोजन के लिए जहां तक संभव हो सके, बारह/छह की संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में समान रुप से और विभाजित किया जाएगा .

अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (कमांक 23 सन् 1999) के नियम 3 के उप–नियम (2) से (6) के अधीन मैं .................... कलक्टर तथा जिला दण्डाधिकारी जिला ............... / प्राधिकृत अधिकारी, एतद्द्वारा ...............जल उपभोक्ता क्षेत्रों को बारह/छह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अंकित करता हूं तथा यह निदेश देता हूं कि विभिन्न जल उपभोक्ता क्षेत्रों तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शाने वाले नक्शे तथा आरेख .............. ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर तथा जनपद पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किए जाएं।

नीचे दिए गए विस्तृत ब्यौरे के अनुसार अंकन के विरूद्ध ऐसी कोई भी आपत्तियां या दावे, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किए जाने की तारीख को छोड़कर सात दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दाखिल किए जा सकेंगे।

.................................................. सिंचाई प्रणाली

जल उपभोक्ता संथा.........................
ग्राम का नाम ..............................
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या बारह/छह
तहसील का नाम .........................
वृहद्/लघु परियोजनाओं के नाम ..........................................
कुल कमाण्ड क्षेत्र, हैक्टर में ........................ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ..............

(भाग संख्या ......................)

| अनुक्रमांक | ऑफ–टेक स्लूस/वितरण केन्द्र की स्थिति | कमाण्ड क्षेत्र | | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| | | सर्वे क्रमांक | विस्तार हैक्टर में | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

(जो लागू न हो उसे काट दें)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी

जिला ..............................."।

3. विद्यमान प्ररूप ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''प्ररूप—ख

[नियम 3 का उप—नियम (14)देखिए]

यतः (तारीख)................................ को प्रदर्शित प्ररूप ''क'' के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया गया तथा उनका सूक्ष्म परीक्षण किया गया।

और यतः, यह समझा जाता है कि प्ररूप ''क'' में संशोधन आवश्यक समझे गये हैं, और तद्नुसार उनकी नीचे दी गई सारणी में, एतद्द्वारा पुनरीक्षित किया जाता है।

.................................................. सिंचाई प्रणाली

जल उपभोक्ता संथा.................................

ग्राम का नाम ................................................................................

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या ..............................

तहसील का नाम.....................................................................

वृहद / लघु परियोजनाओं............................................के नाम ..........................................................................................

कुल कमाण्ड क्षेत्र हैक्टर में .............................. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ..............................................

(भाग क्रमांक ............................................)

| अनुक्रमांक | ऑफ टेक स्लूस / वितरण केन्द्र की स्थिति | कमाण्ड क्षेत्र | | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| | | खसरा क्रमांक | विस्तार (हैक्टर में) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट / प्राधिकृत अधिकारी

जिला...............................................।''।

4. विद्यमान प्ररूप--''ञ'' के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''प्ररूप-ञ

[धारा 5 (1) देखिए]

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23, सन् 1999) की धारा 5 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट वितरिका समितियों को गठित करने के प्रयोजन के लिए वितरिका क्षेत्र.............................................. सिंचाई प्रणाली को अंकित करती है।

सारणी

.......................................सिंचाई प्रणाली

..................................................जिला

**सारणी**

| अनुक्रमाक | वितरिका समिति का नाम | ऑफ टेक स्लूस/वितरण केन्द्र की स्थिति | जल उपभोक्ता संथाओं के नाम | तहसील का नाम | जिले का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | -।''। |

5. विद्यमान प्ररूप "ट" के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप–ट

[धारा 7 (1) देखिए]

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23, सन् 1999) की धारा 7 की उप–धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट परियोजना समितियों को गठित करने के प्रयोजन के लिए परियोजना क्षेत्र.......................................... सिंचाई प्रणाली को अंकित करती है।

सारणी

.....................................सिंचाई प्रणाली

..................................................जिला

सारणी

| अनुक्रमांक | परियोजना समिति का नाम | ऑफ टेक स्लूस / वितरण केन्द्र की स्थिति | वितरिका समिति / जल उपभोक्ता संथा के नाम | तहसील का नाम | जिले का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | ।"। |

No. F-35-31-2019-M-31-102 Bhopal, the 30th June 2022

In exercise of the powers conferred by Section 43 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Farmers Organisation Constitution Rules, 1999, namely:-

**AMENDMENTS**

In the said rules,—

1. In rule 3,-
   (1) In sub-rule (1), after the words "hydraulic basis", the words "or distribution center wise in the case of pressurized irrigation system" shall be inserted;
   (2) In sub-rule (5), after the words "on hydraulic basis", the words "or distribution center wise" shall be inserted;
   (3) In sub-rule (6), after the words "combination of two or more thereof", the words "or distribution centre" shall be inserted;
   (4) In sub- rule (7), after the word "wells", the words "or pressurized pipe irrigation system" shall be inserted.
2. For the existing Form 'A', the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM -A

NOTIFICATION

[See sub-rule (2) of rule 3]

WHEREAS, it has been decided to delineate the entire command area into Water Users' Areas on hydraulic basis or distribution center wise and which are found to be administratively viable;

AND WHEREAS, the water users' areas as so divided shall be further divided in to twelve/six number of territorial constituencies equally as far as possible for the purpose of forming the Water Users' Associations in respect of Major/Medium or Minor Irrigation Systems respectively;

Now, THEREFORE under sub-rule (2) to (6) of rule 3 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), I ................. the Collector and District Magistrate of....................... District/Authorised Officer hereby Delineate ................... Water Users 'Area into twelve/six territorial constituencies, and direct that the maps and sketches indicating the various Water Users' Areas and the territorial constituencies shall be displayed on the notice board of the ............... Gram Panchayat and on the notice board of the office of the Janpad Panchayat.

Any objections or claims against the delineation detailed below may be filed before the authorised officer within seven days excluding the date of display on the notice board of the office of Gram Panchayat or the Janpad Panchayat.

............................................Irrigation System.

..................................

Water Users' Association,

Name of the Village.........................

Total Nos. of Territorial Constituencics twelve/six

Name of the Tehsil.....................

Name of the major/minor projects

Total Command area in Hectare ................ Territorial constituency No........................................

(Part No..........)

| SI. No. | Location of Off-Take-Sluice/Distribution Center | Command Area | | Village |
|---|---|---|---|---|
| | | Survey No. | Extent in Hectare | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

(Strike out which ever is not applicable)

Collector and District Magistrate/Authorised Officer.

................................District... .".

3. For the existing Form "B", the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM B

[See sub-rule (14) of rule 3]

Whereas, the objections received against Form-A displayed on....................... (Date) have been considered and thoroughly examined.

And whereas, it is considered that the amendments to Form "A" are considered necessary; and accordingly they are hereby made and revised in the table hereunder.

..........................................Irrigation System.

.................................

Water Users' Association,

Name of the village .......................

Total Nos. of Territorial constituencies ........................................

Name of the Tehsil ..........................

Name of the major/minor projects........

Total Command Area in Ha............................... Territorial constituency No...............................

(Part No............. )

| SI.No. | Location of Off-Take-Sluice/Distribution Center | Command Area | | Village |
|---|---|---|---|---|
| | | Khasra No. | Extent in Ha. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

Collector and District Magistrate/Authorised Officer

.............................. District.".

4. For the existing Form "J", the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM J
[See section 5(1)]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999) the State Government, hereby, delineate the distributory areas .............................. Irrigation System, for the purpose of constituting Distributory Committees as specified in the table below.

TABLE

.............................. Irrigation System

................................................ District

TABLE

| Sl. No. | Name of the Distributory Committee | Location of the Off-Take Sluice / Distribution Center | Name of the WUAs | Name of the Tehsil | Name of the District |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | ". |

5. For the existing Form "K", the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM-K
[See section 7(1)]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999, (No. 23 of 1999) the State Government, hereby, delineate the project areas for............................ Irrigation System, for the purpose of constituting Project Committees as specified in the table below.

TABLE

...................................... Irrigation System
........................................ District

TABLE

| SI. No. | Name of the Project Committee | Location of the Off-Take Sluice /Distribution Centre | Name of the Distributary committee/ Water Users Association | Name of the Tehsil | Name of the District |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | " |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बी. एस. टेकाम,** उपसचिव.

क्रमांक F-35-31-2019-M-31-106 भोपाल, दिनांक 30 जून 2022

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थातः–

## संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 2 में,–

(1) खण्ड (क), के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात :–

"(ख) ड्रिप सिस्टम" से अभिप्रेत है, ऐसा यांत्रिकी संयोजन जिसके माध्यम से सिंचाई जल को बूंद–बूंद प्रवाह द्वारा सीधे पौधे की जड़ पर पहुंचाया जाता है;

(ग) "ओएमएस" (आउटलेट मेनेजमेंट सिस्टम) से अभिप्रेत है, ऐसी विद्युत यांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जिसके माध्यम से कृषकों को फव्वारा अथवा टपक सिंचाई पद्धति उपयोग द्वारा सिंचाई हेतु जल आपूर्ति की जाती है;

(घ) "आरएमएस" (रोटेशन मेनेजमेंट सिस्टम) से अभिप्रेत है, ऐसी विद्युत यांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जिसके माध्यम से ओएमएस को प्रवाहित किए जाने वाले जल के उपयोग पर नियंत्रण रखा जाता है;

(ङ) "सोलर सिस्टम" से अभिप्रेत है, ऐसी विद्युत यांत्रिकी प्रणाली जिसके द्वारा सौर उर्जा से विद्युत उर्जा का उत्पादन किया जाता है;

(च) "स्प्रिंकलर सिस्टम" से अभिप्रेत है, ऐसा यांत्रिकी उपकरण जिसके माध्यम से सिंचाई जल को फसल पर वर्षा की फुहार की भांति आपूर्ति की जाती है;

(छ) "बाल्व" से अभिप्रेत है, ऐसा यांत्रिकी अथवा विद्युत यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसके माध्यम से जल या वायु के प्रवाह को नियन्त्रित अथवा रोकने का कार्य किया जाता है।"।

(2) विद्यमान खण्ड (ख) को उप–नियम (2) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाए।

2. नियम 7 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(2) समस्त कार्यों को निम्नानुसार प्रवर्गित किया जाएगा :

| (क) बहाव गुरूत्वाकर्षण सिंचाई के लिए | | (ख) दबावयुक्त सिंचाई के लिए | |
|---|---|---|---|
| (एक) | सामान्य प्रचालन और संधारण कार्य जिसमें सामान्य मरम्मत सम्मिलित है, जैसे कि :– | (एक) | सामान्य प्रचालन और संधारण कार्य जिसमें सामान्य मरम्मत सम्मिलित है, जैसे कि :– |
| (क) | डिसिल्टिंग, | (क) | ओएमएस की सफाई |
| (ख) | जड़ों का निकालना, | (ख) | सोलर पेनल की सफाई |
| (ग) | तटों की मरम्मत | (ग) | बैटरी का रख–रखाव |
| (घ) | पलस्तर लगाने का कार्य (रिवेटमेंट) | (घ) | बिजली के संयोजनों का रख–रखाव |
| (ड) | शटर्स की मरम्मत | (ड) | ओएमएस बॉक्स का रख–रखाव |
| (च) | मेसनरी एवं लाईनिंग की मरम्मत | (च) | फिल्टर/जाली की सफाई |
| (छ) | स्क्रू गियरिंग शटर्स की सफाई तथा आइलिंग | (छ) | विभिन्न वाल्वों का रख–रखाव |
| (ज) | उत्तोलक तथा फाटक आदि की पेंटिंग | (ज) | नियन्त्रण कक्ष का रख–रखाव |
| (झ) | आकस्मिक टूट की मरम्मत; और | (झ) | परीक्षण पथ का रख–रखाव |
| (ञ) | परीक्षण पथ का रख–रखाव | | |
| (दो) | छोड़े गए मरम्मत कार्य (पुनर्वास कार्य)– | (दो) | छोड़े गए मरम्मत कार्य (पुनर्वास कार्य)– |
| (क) | स्लूस का पुनर्निर्माण | (क) | आरएमएस का पुर्ननिर्माण |
| (ख) | ड्राप्स रेग्यूलैटर का पुनर्निर्माण/मरम्मत, | (ख) | ओएमएस का पुर्ननिर्माण |
| (ग) | माप उपकरणों का पुनर्निमाण | (ग) | अन्य उपकरणों का पुनर्निमाण |
| (घ) | प्रणाली का पुनरुद्धार; और | (घ) | प्रणाली का पुनरुद्धार; और |
| (तीन) | मूल कार्य– | (तीन) | मूल कार्य– |
| (क) | प्रणाली का आधुनिकरण; और | (क) | प्रणाली का आधुनिकरण, और |
| (ख) | सिंचाई प्रणाली में कोई अन्य निर्माण कार्य उपरोक्त कार्य जल संसाधन विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन कृषक संगठन द्वारा ऐसी दर पर निष्पादित किया जाएगा, जो प्राक्कलित दर से अधिक न हो। | (ख) | सिंचाई प्रणाली मे कोई अन्य निर्माण कार्य उपरोक्त कार्य जल संसाधन विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन कृषक संगठन द्वारा ऐसी दर पर निष्पादित किया जाएगा, जो प्राक्कलित दर से अधिक न हो।"। |

3. नियम 8 में, उप–नियम (1) के खण्ड (दो) में, उपखण्ड (घ) में, शब्द "जल उपयोग दक्षता" के पूर्व, शब्द "सिंचाई की पद्धति यथा स्प्रिंकलर/ड्रिप/हौज/खुला और" अन्तः स्थापित किए जाए।

4. नियम 9 में, उप–नियम (5) में, शब्द "गेज बिन्दु खण्ड" के पश्चात्, शब्द "अथवा दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली की दशा में वितरण केन्द्रों पर" अन्तः स्थापित किए जाएं।

5. नियम 10 में, उप–नियम (क) में, शब्द "अग्रिम रूप से" के पश्चात्, शब्द "अथवा दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली की दशा में प्ररूप 16 एवं 17 में अग्रिम रूप से सभी सदस्यों को अवगत कराया जाएगा", अन्तः स्थापित किए जाएं।

6. नियम 12 में, उप–नियम (ख) में,–

(1) खण्ड (1) के उप–खण्ड (एक) में, क्रमशः शब्द एवं अंक "प्ररुप 2" के पश्चात्, शब्द, अंक तथा अक्षर "अथवा 2 (क)" तथा शब्द "नहर" के पश्चात, शब्द "एवं दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली" अन्तः स्थापित किए जाए।

(2) खण्ड (3) के उप–खण्ड (दो) में, शब्द एवं अंक "प्ररूप 7" के पश्चात् शब्द, अंक तथा अक्षर "अथवा 7(क)" अन्तः स्थापित किए जाए।

7. विद्यमान प्ररूप – 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात :–

"प्ररूप–2(क)
[नियम 12(ख) (1)(एक) देखिए]
कार्य खण्डों का रजिस्टर

परियोजना का नाम ..........................

जल उपभोक्ता संस्था/कृषक संगठन का नाम ..........................

| अनु क्रमांक | शीर्ष से दूरी | स्थिति दाया (आर) बाया (एल) आरपार (एक्स) | कार्य का नाम एवं विवरण | घटाये हुए स्तर (मीटर में) | | | विमाए/व्यास/क्रमाक (मी.) | | | दबाव (कि.ग्रा./स.मी.) | सिंचित का योग्य क्षेत्र जल ग्रहण जल निकाय (हैक्टर/कि.मी.) | प्रवाह घन मीटर प्रति सेकेंड या क्षमता मिलीयन घन मी | अभ्यु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (1 |
| | | | राइजिंग मेन पाइप लाइन | | | | | | | | | | |
| | | | एयर रीलिज वाल्व | | | | | | | | | | |
| | | | डिलीवरी चेम्बर | | | | | | | | | | |
| | | | पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क | | | | | | | | | | |
| | | | आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम | | | | | | | | | | |
| | | | वेफर टाइप वाल्व | | | | | | | | | | |
| | | | एयर वाल्व | | | | | | | | | | |
| | | | पीएफसीएमडी वाल्व | | | | | | | | | | |
| | | | ओएमएस कन्ट्रोलर | | | | | | | | | | |
| | | | प्रेशर ट्रांसमिटर | | | | | | | | | | |
| | | | सोलर पेनल | | | | | | | | | | ।" |

8. विद्यमान प्ररूप – 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप – 4

[नियम 12 (ख) (1)(तीन) देखिए]

पेड–घास–अन्य विविध सम्पत्तियों का रजिस्टर

जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम ..................................................

| अनु क्रमांक | विविध सम्पत्ति वस्तु क्रमांक | तालाब/बांध/नहर/दबावयुक्त पाइप नहर प्रणाली ....... से ....... तक | विविध सम्पत्ति मदो का विवरण | | | | | | | | | वर्ष वार संग्रहण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अवस्थिति | वृक्ष की सख्या | वृक्षो के नाम | तना का घेरा एवं ऊंचाई | घास या ल्यूलि फ्लोरा | मछली | भू–पटरी | अन्य | निम्नतर किराया / निर्धारित नीलामी राशि | 20 | 20 | 20 | 20 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

9. विद्यमान प्ररूप – 7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप – 7(क)

[नियम 12 (ख) (3) (दो) देखिए]

पाइप नहर दबाव निस्सारण रजिस्टर

नाम मुख्य पाइप नहर/वितरक पाइप नहर का ..................................................

जल उपभोक्ता संस्था/कृषक संगठन का नाम ..................................................

प्रारंभ के पाइप का व्यास ..................................................

प्रारंभ में पूर्ण दबाव ..................................................

प्रारंभ में पूर्ण निस्सारण ..................................................

अंत में पाइप का व्यास ..................................................

अंत में पूर्ण दबाव ..................................................

अंत में पूर्ण निस्सारण ..............................

| तारीख | समय | दबाव कृषक संगठन क्षेत्र प्रारंभ में | निस्सारण क्यू. मी. प्रति सेकेण्ड | दबाव कृषक संगठन क्षेत्र अंत में | निस्सारण क्यू. मीटर प्रति सेकेण्ड | निस्सारण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | क्यूमेक | मि.क्यू.मी. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | |

10. विद्यमान प्ररूप 15 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाए, अर्थात्:–

"प्ररूप – 16

[नियम 10 (क) देखिए]

जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम ..............................

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्र. – ..............................

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कोड – ..............................

चक् क्र./ओएमएस क्र. – ..............................

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का नाम – ..............................

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का मोबाईल नं. – ..............................

| चक/उप–चक् क्रमांक | वाल्व क्रमांक | लाभार्थी किसान | कृषि योग्य क्षेत्र (हे) | फसल | बुवाई की तारीख | प्रथम सिंचाई की अनुमानित तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| योग | | | | | | |

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभी किसानों की बैठक आयोजित की गई। चर्चा तथा समस्त कृषकों की सहमति के पश्चात् सिंचाई के लिए जल की मांग तारीख ............ से निश्चिय की गई तथा इसकी जरूरत के लिए यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य

प्ररूप – 17

{नियम 10 (क) देखिए}

जल उपभोक्ता संथा / कृषक संगठन का नाम ..........................................................

जल उपभोक्ता संथा का कोड ..................................................

अध्यक्ष का नाम ..........................................................

अध्यक्ष का मोबाईल नं. ..............................................

| प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का नाम | कृषि योग्य क्षेत्र (हे.) | फसल (%) | | | | | प्रथम सिंचाई की तारीख | छिड़काव की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गेहूं | चना | सरसों | # ...... | # ...... | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| टी.सी. क्रमांक 1 | | | | | | | | | |
| टी.सी. क्रमांक 2 | | | | | | | | | |
| टी.सी. क्रमांक 3 | | | | | | | | | |
| टी.सी. क्रमांक 4 | | | | | | | | | |
| टी.सी. क्रमांक 5 | | | | | | | | | |
| टी.सी. क्रमांक 6 | | | | | | | | | |
| टी.सी. क्रमांक 7 | | | | | | | | | |
| टी.सी. क्रमांक 8 | | | | | | | | | |
| टी.सी. क्रमांक 9 | | | | | | | | | |
| टी.सी. क्रमांक 10 | | | | | | | | | |
| टी.सी. क्रमांक 11 | | | | | | | | | |
| टी.सी. क्रमांक 12 | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | |

(# - अन्य फसलों को अधिसूचित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है)

जल उपभोक्ता संथा के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की चर्चा तथा सहमति के साथ सिंचाई के लिए जल की मांग हेतु प्रस्तावित तारीख............ विनिश्चित की गई है।

स्थान :

दिनांक :

No. F-35-31-2019-M-31-106 Bhopal, the 30th June 2022

In exercise of the powers conferred by section 43 of the Madhya adesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, '99 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, makes the lowing amendments in the Madhya Pradesh Farmers Organization ıles, 1999, namely :-

**AMENDMENTS**

the said rules,-

1. In rule 2,-

(1) after clause (a), the following clauses shall be added, namely :-

"(b) 'drip system' means a mechanical device to supply the irrigation water directly in the roots of plants in form of drops;

(c) 'oms' (Outlet Management System) means an electro mechanical and electronic system by which water is supplied to farmers for irrigation by using sprinkler or drip irrigation system;

(d) 'rms' (Rotation Management System) means an electro mechanical and electronic system used to control the supply of irrigation water through OMS;

(e) 'solar system' means an electro mechanical system by which electrical energy produced from solar energy;

(f) 'sprinkler system' means a mechanical device to supply the irrigation water to crop in the form of droplets like rain;

(g) 'valve' means mechanical or electro mechanical/electronic device to control or shutdown the flow of water or air;".

(2) The existing clause (b) shall be renumbered as sub-rule (2)

2. In rule 7, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) All the works shall be categorised as below:

| (A) | For Gravitation Flow Irrigation | (B) | For Pressurized Irrigation |
|---|---|---|---|
| (i) | Normal Operation and Maintenance Works which includes ordinary repairs, such as:- | (i) | Normal Operation and Maintenance Works which includes ordinary repairs, such as :- |
| (a) | Desilting | (a) | Cleaning of OMS |
| (b) | Weed removal | (b) | Cleaning of Solar panel |
| (c) | Embankment repairs | (c) | Maintenance of Battery |
| (d) | Revetment | (d) | Maintenance of Electric Circuits |
| (e) | Repairs to shutters | (e) | Maintenance of OMS Box |
| (f) | Repairs to masonry and lining | (f) | Cleaning of Filter/Mesh |
| (g) | Cleaning and Oiling of screw gearing shutters | (g) | Maintenance of various valves |
| (h) | Painting of hoists and gates etc. | (h) | Maintenance of control room |
| (i) | Emergent breach closing works; and | (i) | Maintenance of inspection paths |
| (j) | Maintenance of inspection paths | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ii) | Deferred Maintenance Works (Rehabilitation Works)- | (ii) | Deferred Maintenance Works (Rehabilitation Works)- |
| (a) | Reconstruction of sluices | (a) | Reconstruction of RMS |
| (b) | Reconstruction /repairs to drops regulators | (b) | Reconstruction of OMS |
| (c) | Reconstruction of measuring devices | (c) | Reconstruction of other devices |
| (d) | Reconstruction of the system; and | (d) | Rehabilitation of the system; and |
| (iii) | Original Works | (iii) | Original Works- |
| (a) | Modernization of System; and | (a) | Modernization of the system; and |
| (b) | Any other construction works in the irrigation system. The above works shall be executed by the Farmer's Organization, under the supervision of the Water Resources Department at the rates not exceeding estimated rates | (b) | Any other construction works in the irrigation system. The above works shall be executed by the Farmers' Organization, under the supervision of the Water Resources Department at the rates not exceeding estimated rates.". |

3. In rule 8, in clause (ii) of sub-rule (1), in sub-clause (f), before the words "Water use efficiency", the words "Method of irrigation viz. sprinkler/drip/hose/open and", shall be inserted.

4. In rule 9, in sub-rule (5), after the words "gauge points", the words "or at distribution centres in case pressurized pipe irrigation system" shall be inserted.

5. In rule 10, in sub-rule (a), after the words "well in advance", the words "or in case of pressurized pipe irrigation system schedule in Form 16 and 17 shall be informed to all members well in advance" shall be inserted.

6. In rule 12, in sub-rule (b),-

   (1) In sub-clause (i) of clause (1), after the word and figure "Form 2", the word, figure and letter "or 2(A)", and after the word "canals" the words "and pressurized pipe irrigation system" shall be inserted respectively.

   (2) In sub-clause (ii) of clause (3), after the word and figure "Form-7", the word, figure and letter "or 7(A)" shall be inserted.

7. After the existing Form-2, the following Form shall be added, namely:-

"FORM-2(A)

[see rule 12 (b) (1) (i)]

REGISTER OF COPONENT WORK

Name of the Scheme.......................

Name of W.U.A./F.O.......................

| S.No. | Distance from head | Position Right-(R) Left-(L) Across-(X) | Name and description of work | Reduced levels (m) | | | Dimensions/ Diameter/ Numbers (m) | | | Pressure (Kg/cm2) | Areas chargeable catchment or drainage (ha/km2) | Discharge in cum/sec or capacity in million cum | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | | Rising Main Pipeline | | | | | | | | | | |
| | | | Air Release Valve | | | | | | | | | | |
| | | | Delivery Chamber | | | | | | | | | | |
| | | | Pipe Distribution Network | | | | | | | | | | |
| | | | Outlet Management system | | | | | | | | | | |
| | | | Wafer type BFV | | | | | | | | | | |
| | | | Air Valve | | | | | | | | | | |
| | | | PFCMD Valve | | | | | | | | | | |
| | | | OMS Controller | | | | | | | | | | |
| | | | Pressure Transmitter | | | | | | | | | | |
| | | | Solar Panel | | | | | | | | | | " |

8. For existing Form-4, the following Form shall be substituted, namely :-

"FORM-4

[see rule 12 (b) (1) (iii)]

REGISTER OF TREES-GRASS-OTHER MISCELLANEOUS PROPERTIES

Name of the W.U.S./F.O..................

| Details of Miscellaneous Properties Items | | | | | | | | | | | | Year-wise collection | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.No | M.P. Item No | Tank Bund Canal/ Pressurized pipe Canal System Reach From...To... | Location | No of Tree | Name of Tree | Girth and Height of Trunk | Grass or Localfom | Fish | Born | Others | Min Rent/ Bid Fixed | 20.. | 20.. | 20 ... | 20.. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | " |

9. After the existing Form-7, the following Form shall be added, namely :-

"FORM-7 (A)

[see rule 12 (b)(3) (ii)]

PIPE CANAL PRESSURE DISCHARGE REGISTER

Name of Main Pipe Canal/Distributory Pipe Canal............

Name of the W.U.AS./F.O................

Diameter of Pipe of Start.................

Pressure at Start..........................

Discharge at Start........................

Diameter of Pipe at End.......................

Pressure at End ................................

Discharge at End.................

| Date | Time | Pressure at Start of F.O. | Discharge in cumecs | Pressure at End of F.O. | Discharge in cumecs | Discharge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | In cumecs | In MC |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | " |

10. After the existing Form 15, the following Forms shall be added, namely :-

"FORM-16

[see rule 10 (a)]

Name of W.U.A./F.O...................

Territorial Constituency Number.................

Territorial Constituency code.......................

Chak Number/OMS Number..........................

Name of Territorial Constituency Member.......................

Mobile Number of Territorial Constituency Member..............

| Chak No./Sub Chak No. | Valve Number | Farmer to be benefitted | Culturable land (Ha.) | Crop | Date of Sowing | Expected date of first watering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | | | | | | |

Meeting of all concerned farmers of territorial constituency held. After discussion and consent of all farmers demand of water for irrigation decided to be from date...............and it is submitting here for needful.

Place:

Date:

Signature

TC Member

FORM-17

[see rule 10 (a)]

Name of W.U.A/F.O.......................

Code No. of W.U.A.........................

Name of President.........................

Mobile Number of President.......................

| Territorial constituency Number | Name of Territorial constituency member | Culturable land (Ha.) | Crop (%) | | | | | Date of first watering | Number of watering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wheat | Gram | Mustard | #.... | #.... | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| T.C.No.1 | | | | | | | | | |
| T.C.No.2 | | | | | | | | | |
| T.C.No.3 | | | | | | | | | |
| T.C.No.4 | | | | | | | | | |
| T.C.No.5 | | | | | | | | | |
| T.C.No.6 | | | | | | | | | |
| T.C.No.7 | | | | | | | | | |
| T.C.No.8 | | | | | | | | | |
| T.C.No.9 | | | | | | | | | |
| T.C.No.10 | | | | | | | | | |
| T.C.No.11 | | | | | | | | | |
| T.C.No.12 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |

(# can be use to notify other crops)

With the discussion and consent of all territorial constituency members of water users association, the proposed date for demand of water for irrigation decided is.............

Place:

Date: Signature

President of WUA.".

---------v----------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**बी. एस. टेकाम,** उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.